न्यायालय–अवर न्यायाधीश प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 127 / 2019
सी0 आई0 एस0 नं0 527 / 2019

नथुनी गड़ेड़ी उर्फ नथुनी पाल.....वादी

बनाम्
समीद मिंया वगै0..... ..... प्रतिवादीगण।

आदेश

10.07.2023

उभय पक्षों की पैरवी है। अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। वादी के तरफ से दिनांक– 28.04.2023 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 वो भी आदेश 1 नियम 10 दफा 151 सी0 पी0 सी0 में वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी द्वारा दिनांक– 29.03.2023 को विवादित एराजी के खाता सं0 26, खेसरा नं0 2431, रकवा 12.50 डी0 भूमि सोनामति के पक्ष में रजिस्ट्री केवाला जाली वो फरेबी तरीके से तहरीर किये हैं। वादी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि सोनामति देवी को प्रतिवादी सं0 36 के रूप में पक्षकार बनाया जाये तथा आवेदन के आलोक में अर्जी मरम्मत करने का आदेश दिया जाये।

प्रतिवादी के तरफ से दिनांक– 16.06.2023 को प्रतिउत्तर दाखिल करते हुये प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी का आवेदन कानून एवं तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नहीं है तथा प्रतिवादी के पूर्वज की खतियानी एराजी है तथा जमीमा नं0 5 प्रतिवादी प्रथम पक्ष की हकीयती वो दखली एराजी है तथा प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने सोनामति देवी को दिनांक– 29.03.2023 को केवाला किये हैं। तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि वादी का आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को पूर्व में सुना जा चुका है। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी ने विवादित एराजी विक्री किया है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा क्रेता को पक्षकार बनाने की प्रार्थना की गयी है। इस संशोधन से वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु इससे वाद के उचित न्याय निर्णयन में सहायता मिलेगी। अतः वादी का आवेदन दिनांक–28.04.2023 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 वो भी आदेश 1 नियम 10 दफा 151 सी0 पी0 सी0 को स्वीकृत किया जाता है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन के आलोक में अर्जी में संशोधन करें। वादी ने अनुतोष में भी संशोधन की मांग की है। अतः सरिस्तेदार उपरोक्त के आलोक में अपना प्रतिवेदन दाखिल करें।

दिनांक– 09.08.2023 वास्ते उपस्थिति।

लेखापित

ह0 / –
(अखिलेश कुमार पाण्डेय)
सब जज प्रथम, डुमरॉव ।